रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 77 नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 1984/फाल्गुन 29, 1905

No. 77] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 1984/PHALGUNA 29, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1984

सं० सीमा-शुल्क 85/84

सा० का० नि० 220(अ) :—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 146 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम सीमा-शुल्क सदन अभिकर्ता अनुज्ञापन विनियम, 1984 है ।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं : इन विनियमों मे, जब तक संदर्भ मे अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) अभिप्रेत है,

(ख) "कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित कम्पनी अभिप्रेत है,

(ग) "सीमा-शुल्क सदन अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे किसी सीमा-शुल्क स्टेशन पर किसी प्रवहरण के प्रवेश या उसकी निकासी से संबंधित कारबार के संव्यवहार के लिए या माल के आयात या निर्यात के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के इन विनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है,

(घ) "फर्म", "फर्म नाम", "भागीदार" और "भागीदारी" के क्रमशः वही अर्थ हैं जो उनके भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में हैं, किन्तु "भागीदार" पद के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति जो अप्राप्तव्य होते हुए, भागीदारी के फायदों में सम्मिलित किया गया है भी है,

(ङ) "प्ररूप" से इन विनियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है,

(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है,

(छ) "कलक्टर" और "सीमाशुल्क स्टेशन" पदों का वही अर्थ होगा जो उनका सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में है ।

3. कहां अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं है : निम्नलिखित व्यक्तियों से इन विनियमों के अधीन कोई अनुज्ञप्ति लेने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :—

(क) किसी निर्यातकर्ता या आयातकर्ता से जो सीमा-शुल्क सदन में एकमात्र अपनी ओर से कारबार का कोई संव्यवहार करता है,

(ख) किसी व्यक्ति या फर्म के किसी कर्मचारी से जो ऐसे व्यक्ति या फर्म की ओर से सामान्यतः कारबार का संव्यवहार करता है, और

(ग) ऐसे किसी अभिकर्ता से जो एक या अधिक जलयानों के लिए केवल इस दृष्टि से नियोजित किया गया है कि वह उन जलयानों का प्रवेश या उनकी निकासी कराए या ऐसे अभिकर्ता के रूप में अपने नियोजन के समनुषंगी कार्य करे ।

4. आवेदनों का आमंत्रण . कलक्टर, प्रतिवर्ष जनवरी मास में प्रत्येक सीमा-शुल्क स्टेशन के सूचना पट्ट पर सूचना लगाकर और कम से कम ऐसे दो समाचार पत्रों में जिनका उसकी अधिकारिता वाले क्षेत्र में परिचालन है प्रकाशन द्वारा उसमें आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए, सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदन आमंत्रित कर सकेगा । ऐसा आवेदन पत्र उक्त कलक्टर की अधिकारिता के भीतर निकासी कार्य के लिए होगा ।

5. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन : (1) किसी सीमा-शुल्क स्टेशन में सीमा-शुल्क सदन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्ररूप "क" में किया जाएगा और उसमें अन्य बातों के साथ-साथ आवेदनकर्ता का नाम और पता दिया जाएगा और (2) यदि आवेदनकर्ता कोई फर्म है :—

(क) तो फर्म के प्रत्येक भागीदार के नाम और पते, फर्म का नाम, और

(ख) भागीदार या सम्यकतः प्राधिकृत कर्मचारी का नाम जिसे वास्तव में सीमा-शुल्क से माल या प्रवहरण की निकासी में लगाया जाएगा ।

(3) यदि आवेदनकर्ता कोई कम्पनी है—

(क) तो प्रत्येक निदेशक, प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक का नाम और

(ख) निदेशक, प्रबन्धक या सम्यकतः प्राधिकृत कर्मचारी का नाम जिसे वास्तव में सीमा-शुल्क से माल और प्रवहण की निकासी में लगाया जाएगा।

6. आवेदनकर्ता द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें : यथास्थिति, आवेदनकर्ता या विनियम 5 के उप विनियम (2) और (3) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति कलक्टर के समाधानप्रद रूप में साबित करेगा कि :

(क) उसके पास सीमा-शुल्क से माल की निकासी से संबंधित कार्य का कम से कम एक वर्ष का अनुभव है, और

(ख) आवेदनकर्ता की किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किए गए किसी प्रमाण पत्र या किसी अन्य सबूत द्वारा जो कलक्टर को मान्य हो समर्थित ऐसी वित्तीय क्षमता है, जिससे यह प्रकट होता है कि उसके पास मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, कांडला, गोवा, मंगलौर, तूतीकोरिन या विशाखापत्तनम में स्थित सीमा-शुल्क स्टेशनों में से किसी की बाबत अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए आवेदनों की दशा में कम से कम एक लाख रुपए के मूल्य की और उन स्थानों से जो ऊपर विनिर्दिष्ट है, भिन्न स्थानों पर स्थित प्रत्येक अन्य सीमा-शुल्क स्टेशन की दशा में कम से कम 50,000 रु० के मूल्य की आस्तियां हैं ।

परन्तु ऐसे मामलों में जहां कलक्टर की अधिकारिता का विस्तार एक से अधिक सीमा शुल्क स्टेशनों तक है वहां कलक्टर सभी स्टेशनों या ऐसे एक से अधिक स्टेशनों के लिए जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, एक अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा और ऐसे अतिरिक्त सीमा-शुल्क स्टेशनों के लिए खण्ड (क) और (ख) के उपबन्धों के पृथक अनुपालन की आवश्यकता का अधित्यजन कर सकेगा । अनुज्ञप्ति में ऐसे एक से अधिक स्टेशन को विनिर्दिष्ट कर सकेगा । कलक्टर ऐसे मामलों में विनियम 11 की अपेक्षाओं के पृथक अनुपालन की आवश्यकता का भी अधित्यजन कर सकेगा ।

परन्तु यह और कि ऐसे स्थानों में जहां विभिन्न सीमा-शुल्क स्टेशनों पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले एक से अधिक कलक्टर हैं और सीमा-शुल्क सदन अभिकर्ता अनुज्ञापन विनियम 1965 के अधीन अनुज्ञप्त सीमा-शुल्क सदन अभिकर्ता एक ही अनुज्ञप्ति के आधार पर उक्त सीमा शुल्क स्टेशनों में कार्य करते आ रहे हैं वहां ऐसे अभिकर्ताओं को यह छूट होगी कि वे वित्तीय क्षमता की बाबत विनियम 6 की अपेक्षाओं का या विनियम 11 के आधार पर नये निक्षेप के बारे में अपेक्षाओं का अनुपालन करने की अपेक्षा के बिना, उसमें भिन्न जिसने उन्हें विद्यमान अनुज्ञप्ति जारी की है कलक्टर से विनियम 8 के अधीन एक अस्थायी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करें ।

7. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की संवीक्षा : विनियम 5 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर कलक्टर आवेदन में उपवर्णित विशिष्टियों के सत्यापन के लिए जांच कर सकेगा और ऐसी अन्य जांच भी करेगा जो वह आवश्यक समझे जिसके अन्तर्गत आवेदनकर्ता की प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता और वित्तीय प्रास्थिति के बारे में जांच भी है ।

8. (1) अस्थायी अनुज्ञप्ति का दिया जाना : ऐसा कोई आवेदनकर्ता जिसका आवेदन विनियम 4 में विनिर्दिष्ट अन्तिम तारीख के अन्दर प्राप्त किया जाता है और जो विनियम 5 और 6 की अपेक्षाओं को पूरा करता है, उस सीमा-शुल्क स्टेशन पर जिसके लिए प्रारम्भ में आवेदन किया जाता है सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा इस बाबत प्ररूप ख में दी गई अस्थायी अनुज्ञप्ति पर एक वर्ष की अवधि के लिए किसी सीमा-शुल्क सदन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात होगा ।

परन्तु यह कि जब कलक्टर को इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदन के विनियमों में विहित लिखित या मौखिक परीक्षा में अर्हित होने के लिए पहले ही दो अवसरों का उपभोग कर लिया है और विनियमन 9 के निबंधनों के अनुसार ज्यों ही अगली परीक्षा ली जाती है त्यों ही वह तीसरे अवसर पर उपयोग करना चाहता है और यह कि आवेदक एक वर्ष के कार्यकरण के दौरान ऐसे अभिकर्ता के लिए विहित कार्य की न्यूनतम मात्रा का लेखा-जोखा देने में समर्थ रहा है तो कलक्टर पूर्वोक्त एक वर्ष की अवधि को, जिसके लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति दी गई है, और छह महीनों के लिए या एक वर्ष से अनधिक उतनी और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जिससे कि आवेदक विनियम 9 के निबंधनों के अनुसार परीक्षा में अर्हित होने के लिए तीसर अवसर पर उपयोग कर सके । इस प्रकार समय बढ़ाते समय सीमा-शुल्क कलक्टर, इस बात के लिए अपना समाधान कर लेगा कि विनियम 10(1)(क) और 10(1)(ख) की अपेक्षाएं आवेदक द्वारा पूरी कर दी गई हैं ।

9. आवेदक की परीक्षा : (1) व्यष्टि की दशा में अस्थायी अनुज्ञप्ति के धारक से और यथास्थिति, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से जो स्थायी अनुज्ञप्ति के धारक फर्म या कंपनी की ओर से सीमा-शुल्क से माल की निकासी के कार्य में वास्तव में लगाए जाएंगे, शीघ्रतिशीघ्र परीक्षा में अर्हित होने की अपेक्षा की जाएगी । ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को ज्यों ही अस्थायी अनुज्ञप्ति दी जाती है त्यों ही वह या वे परीक्षा में बैठने के पात्र हो जाएंगे और उनको अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी की जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, प्रति परीक्षा 250 रु० की विहित परीक्षा फीस का संदाय करने पर तीन अवसरों का उपयोग करने की अनुज्ञात किया जाएगा ।

(2) उप विनियम 2(1) में निर्दिष्ट परीक्षा में लिखित और मौखिक परीक्षा सम्मिलिति होगी और प्रतिवर्ष दो बार आयोजित की जाएगी । प्रत्येक आवेदक को, उक्त परीक्षा में अर्हित होने के लिए अधिकतम तीन अवसर का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा किन्तु ऐसे सभी अवसरों का उपयोग, अस्थायी अनुज्ञप्ति मंजूर की जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, किया जाना चाहिए ।

(3) परीक्षा में निम्नलिखित पर प्रश्न सम्मिलित होंगे :—

(क) विभिन्न प्रकार के प्रवेश-पत्रों और पोतपत्रों का तैयार किया जाना,

(ख) जलयानों का पहुंचना, प्रवेश और निकासी,

(ग) टैरिफ वर्गीकरण और शुल्क की दरें,

(घ) निर्धारण के लिए मूल्य का अवधारण,

(ङ) करेंसी का संपरिवर्तन,

(च) विभिन्न प्रकार के प्रवेश-पत्रों और पोतपत्रों के साथ भरे जाने वाले दस्तावेजों की प्रकृति और उनका वर्णन,

(छ) शुल्क के निर्धारण और संदाय की प्रक्रिया,

(ज) सीमा-शुल्क स्टेशन पर वाणिज्य की परीक्षा,

(झ) व्यापार और वाणिज्य चिन्ह् अधिनियम, 1958 (1958 का 43) के उपबन्ध,

(ञ) आयात या निर्यात पर प्रतिषेध,

(ट) बंधपत्र सम्बन्धी प्रक्रिया और बंध-पत्र से निकासी,

(ठ) निःशुल्क पुनः प्रवेश के लिए पुनः आयात और शर्तें,

(ड) ड्रॉबैक,

(ढ) अधिनियम के अधीन अपराध,

(ण) सहबद्ध अधिनियमों के, जिनके अन्तर्गत आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18), विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46), भारतीय विस्फोट अधिनियम, 1884 (1884 का 4), आयुद्ध अधिनियम, 1959 (1959 का 54), अफीम अधिनियम, 1978 (1978 का 1), औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23), नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2), अनिष्कर मादक द्रव अधिनियम, 1930 (1930 का 2) भी हैं, उपबंध जहां तक कि वे सीमा-शुल्क से माल की निकासी से सुसंगत है ;

(त) अधिनियम के अधीन संदत्त शुल्क के प्रदाय, अपील और पुनरीक्षण संबंधी अर्जियों के मामले में प्रक्रिया ।

(4) कलक्टर अपना यह भी समाधान करेगा कि प्ररूप ख में अनुज्ञप्तिधारी यदि वह व्यष्टि है, या फर्म या कम्पनी है, तो उन व्यक्तियों को जो फर्म या कम्पनी की ओर से सीमा-शुल्क से माल की निकासी से संबंधित काम में वस्तुतः लगाए जाएंगे, अंग्रेजी का और सीमा-शुल्क स्टेशन की स्थानीय भाषा का संतोषप्रद ज्ञान है ;

परन्तु उन व्यक्तियों की दशा में जो पूर्ण रूप से डाक में कार्य पर लगाए जाऐंगे, अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य नहीं होगा । हिन्दी के ज्ञान को एक अतिरिक्त या वांछनीय अर्हता समझा जाएगा ।

10. नियमित अनुज्ञप्ति का दिया जाना : (1) कलक्टर, प्ररूप "ग" में आवेदन पत्र प्राप्त करने पर, 500 रु० की फीस का संदाय करने पर प्ररूप "घ" में नियमित अनुज्ञप्ति, अस्थायी अनुज्ञप्ति के ऐसे धारक को देगा जो विनियम 9 में निर्दिष्ट परीक्षा में अर्हित हो जाता है और जिसका कार्य, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में संतोषजनक पाया जाता है :—

(क) ऐसी अनुज्ञप्ति द्वारा निकासी किए गए स्थोरा की मात्रा या मूल्य जो उन मानों के अनुसार है जैसे कलक्टर द्वारा विहित किए जाएं ।

(ख) माल की निकासी या शुल्क के संदाय में विलम्ब का न होना जिसका संबंध ऐसी अनुज्ञप्ति के फलस्वरूप किसी भी कारण से हो और अवचार की शिकायत का न होना जिसमें विनियम 14 में विनिर्दिष्ट बाध्यताओं में से किसी का अनुपालन भी है ।

(2) सीमा-शुल्क सदन अभिकर्ता जिन्हें विनियम 10 के अधीन नियमित अनुज्ञप्ति दी जाती है, निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करने की शर्त के अधीन रहते हुए सीमा-शुल्क स्टेशन में कार्य करने के पात्र होंगे :—

(क) अनुज्ञप्तिधारी उस सीमा शुल्क स्टेशन से संबंधित कलक्टर को जहां वह कारबार करना चाहता है, अपने आप को और अपने प्राधिकृत कर्मचारिवृन्द को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन करेगा ;

(ख) वह विनियम 6 के खंड (ख) में नियत शर्तों को पूरा करता है जो निम्नलिखित से संबंधित है, वित्तीय दृढ़ता, माल की निकासी के स्थान पर पर्याप्त भांडागारण और परिवहन सुविधा की व्यवस्था करने की योग्यता का होना और इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करना कि उसके नियंत्रण में पर्याप्त संख्या में ग्राहकगण उपलब्ध हैं;

(ग) उससे इन विनियमों के सम्यक् पालन के लिए प्ररूप "घ" में पृथक बंधपत्र करने की और विनियम 11 के अधीन यथानियत प्रत्येक सीमा शुल्क स्टेशन के लिए पृथक बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करने के लिए भी अपेक्षा की जाएगी ।

(घ) पूर्वोक्त शर्तों के पूरा हो जाने पर उस सीमाशुल्क स्टेशन का कलक्टर जिस पर अनुज्ञप्तिधारी कारबार का संव्यवहार करना चाहता है । प्ररूप "घ" में एक अनुज्ञप्ति देगा जिसमें उसे सीमाशुल्क स्टेशन पर कारबार का संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा । परन्तु ऐसे स्थानों पर जहां समुन्द्र मार्ग द्वारा आयात किया जाता है, आयात की उठाई-धराई वाले सीमाशुल्क सदन के अतिरिक्त वायुमार्ग द्वारा आयात की उठाई-धराई के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन भी है, भले ही वह किसी भिन्न कलक्टर की अधिकारिता के अधिन हो, वहां कोई पृथक अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी ।

3. सीमाशुल्क कलक्टर सीमाशुल्क अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियमित अनुज्ञप्ति दी जाने के लिए किये गए आवेदन को उस दशा में नामंजूर कर सकेगा यदि अस्थाई अनुज्ञप्ति धारक विनियमन 9 के अनुसार परीक्षा में अर्हित होने में असफल रहता है या विनियम 10 के अनुसार अपने कार्य के मूल्यांकन पर अस्थाई अनुज्ञप्ति का धारक कलक्टर द्वारा पारित आदेशों में किन्ही कारणों से योग्य नहीं समझा जाता है ।

11. बंधपत्र का निष्पादन और प्रतिभूति का दिया जाना:

विनियम 8 के अधीन अस्थाई अनुज्ञप्ति या विनियम 10 के अधीन नियमित अनुज्ञप्ति देने से पूर्व कलक्टर आवेदक से यह अपेक्षा करेगा कि वह इन विनियमों के सम्यक् पालन के लिए प्ररूप "च" में एक बंधपत्र निष्पादित करे और उसमें यह अपेक्षा करेगा कि विनियम 6 में यथावर्णित सीमाशुल्क स्टेशन के लिए 25,000 रुपए और अन्य सीमाशुल्क स्टेशनों की दशा में 10,000 रुपए की रकम की प्रत्याभूति/डाक प्रतिभूति/राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र कलक्टर के नाम में दे । विभिन्न कलक्टरों की अधिकारिता में आने वाले एक से अधिक सीमाशुल्क स्टेशनों पर कारबार का संव्यवहार करने के लिए समुचित बैंक प्रत्याभूति सहित एक पृथक बंधपत्र निष्पादित करने के अपेक्षा की जाएगी । यदि आवेदक डाक प्रतिभूति या राष्ट्रीय बचतपत्र देता है तो वह कलक्टर के नाम गिरवी रखा जाएगा और व्यष्टि को उस पर उद्भूत होने वाले ब्याज का फ़ायदा मिलेगा ।

नियमित अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि :

(1) विनियम 10 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी ।

(2) उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व कलक्टर को इस निमित्त के किए गए आवेदन पर वह उसे तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत कर सकेगा ।

(3) उपविनियम (2) के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए फीस 100/—रुपए होगी ।

3. अनुज्ञप्ति का अनन्तरणीय होना: इन विनियमों के अधीन दी गई या नवीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह अनुज्ञप्तिधारी को दे दी गई है या नवीकृत की गई है और किसी भी अनुज्ञप्ति का विक्रय भी अन्यथा अन्तरण नहीं किया जाएगा ।

सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता की बाध्यताएं :

सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता

(क) जब कभी सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा अपेक्षा की जाए प्रत्येक ऐसी कम्पनी, फर्म या व्यक्ति का, जिसके द्वारा उसे तत्समय सीमा शुल्क सदन अभिकर्ता के रूप में नियोजित किया जाता है, प्राधिकारी पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(ख) सीमाशुल्क सदन में या तो स्वयं व्यक्तिगत रूप से या कलक्टर द्वारा, पदाभिहित सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित लिपिक या सेवक की मार्फत कारबार करेगा ।

(ग) किसी ऐसे मामले में, जिस पर वह, अधिकारी या कर्मचारी के रूप में व्यक्तिगत रूप से विचार कर चुका है, या ऐसे तथ्यों के बारे में जिसकी बाबत उसे सरकारी सेवा में रहने के दौरान जानकारी प्राप्त हुई है, किसी सीमा शुल्क अधिकारी के समक्ष किसी व्यवहारी का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा ।

(घ) वह अपने व्यवहारी को अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने की सलाह देगा और जहां अनुपालन नहीं किया है, वहां वह मामले को सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर की जानकारी में लायेगा ।

(ङ) किसी ऐसी जानकारी को जो वह स्थोरा या यात्री सामान की निकासी से समबद्ध कार्य के संदर्भ में किसी व्यवहारी को देता है, सत्यता अभिनिश्चित करने के लिए सम्यक् तत्परता बरतेगा,

(च) किसी सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा स्थोरा या यात्री सामान की निकासी से संबंधित जारी की गई कोई जानकारी उस व्यवहारी से नहीं छिपाएगा जो ऐसी जानकारी का हकदार है,

(छ) किसी शुल्क, कर या अन्य ऋण या बाध्यताओं के जो सरकार को शोध्य है, संदाय के लिए प्राप्त सभी राशियों का, उनके देय होने पर, सरकार को अविलम्ब संदाय करेगा और अपने व्यवहारियों को उन निधियों का हिसाब देगा जो उनके लिए सरकार से प्राप्त की जाती है या जो व्यवहारी की ओर से स्थोरा या यात्री सामान की निकासी की बाबत देय सरकारी अथवा अन्य प्रभारों के आधिक्य में उससे प्राप्त की जाती है;

(ज) सरकारी अभिलेखों या किसी प्रकार के अन्य सरकारी स्रोतों से जिन तक पहुंच के लिए उचित प्राधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी उपाप्त नहीं करेगा या उपाप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा;

(झ) सीमाशुल्क सदन के समक्ष लंबित किसी मामले में धमकी देकर, मिथ्या अभियोग लगाकर, विवाधता का प्रयोग करके या कोई विशेष प्रलोभन देकर या लाभ का वचन देकर या कोई दान देकर या पक्षपात करके या मूल्य वाली अन्य वस्तु देकर सीमाशुल्क सदन के किसी कर्मचारी के आचरण पर असर डालने का प्रयत्न नहीं करेगा;

(ञ) सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता के रूप में अपने संव्यवहार से संबंधित जिस पुस्तक, कागजपत्र या अन्य अभिलेख की या उसके किसी भाग की सीमाशुल्क कलक्टर मांग करता है या उसकी मांग कर सकता है, उस तक पहुंच से न तो इंकार करेगा और न उसे छिपाएगा, हटाएगा या नष्ट करेगा ।

(ट) अभिलेख और लेखे उस प्ररूप में और रीति में बनाए रखेगा जैसा सहायक सीमाशुल्क कलक्टर समय-समय पर निदेश करे और निरीक्षाण के लिए उन्हें सहायक सीमाशुल्क कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(ठ) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा या उसकी ओर से तैयार या प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज उससे संबंधित आदेशों के अनुसार ही तैयार या प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा नहीं;

(ड) यह सुनिश्चित करेगा कि सीमाशुल्क सदन में उसके द्वारा परिदत्त प्रवेश पत्र और पोत पत्र जैसे सभी दस्तावेजों में यथा स्थिति, आयातकर्ता या निर्यातकर्ता का नाम, और सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता का नाम प्रमुख रूप से दस्तावेज के शीर्ष भाग पर दर्शित किया जाता है;

(ढ) उसे दी गई अनुज्ञप्ति के खो जाने की दशा में, उसकी रिपोर्ट तत्काल सीमाशुल्क कलक्टर को करेगा; और

(ण) यह निश्चित करेगा कि वह सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिकतम शीघ्रता और दक्षता से करता है ।

(त) विनियम 25 के अधीन समय-समय पर कलक्टर द्वारा अनुमोदित दरों के आधिक्य में सीमाशुल्क अभिकर्ता के रूप में अपनी सेवाओं के लिए प्रभावित नहीं करेगा ।

15. कंपनी के निदेशकों आदि में परिवर्तन:—यदि विनियम 10 के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाली किसी कंपनी के निदेशकों, प्रबंध निदेशकों या प्रबंधकों में कोई परिवर्तन होता है तो अनुज्ञप्तिधारी उसकी सूचना तत्काल कलक्टर को देगा ।

16. फर्म से गठन में परिवर्तन (1) यदि कोई फर्म अनुज्ञप्तिधारी है और उसके गठन में कोई परिवर्तन होता

है तो उसकी रिपोर्ट यथासंभव शीघ्र कलक्टर को की जाएगी और ऐसा परिवर्तन करने वाली कोई भी फर्म विनियम 5 के अधीन अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए 30 दिन के अन्दर उक्त कलक्टर को एक नया आवेदन करेगा। ऐसे आवेदन की संवीक्षा पर कलक्टर उसके गठन में परिवर्तन से पहले आवेदक द्वारा धारित श्रेणी की नयी अनुज्ञप्ति फर्म को दे सकेगा, यदि उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल बात नहीं है,

परन्तु यदि विद्यमान फर्म उस आशय का आवेदन करती है तो उसे सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता के कारबार का संचालन करने के लिए उस समय तक अनुज्ञात किया जा सकेगा—जब तक की फर्म के नए आवेदन पर कोई विनिश्चय नहीं कर लिया जाता है।

(2) यदि किसी फर्म के पक्ष में इन विनियमों के अधीन दी गई या नवीकृत कोई अनुज्ञप्ति भागीदार की मृत्यु हो जाने के कारण प्रवृत्त नहीं रह जाती है और भागीदारी विलेख में यह उपबंध किया गया है कि वह फर्म मृतक से उस विधिक वारिस सहित या उसके बिना जो विनियम 20 के अधीन नियोजित है, उत्तरजीवी भागीदारों के साथ बनी रहेगी, तो ऐसी फर्म को उस दशा में अनुज्ञप्ति दी जा सकती है जब फर्म और भागीदारों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल बात न हो।

(3) जब कोई फर्म, जिसे इन विनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है, या नवीकृत की गई है उसके गठन में ऐसा परिवर्तन किए जाने के लिए अनुरोध करता है जो ऐसे व्यक्ति को भागीदार बनाने के लिए है जो ऐसे अनुरोध की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्ष से अन्यून अवधि तक फर्म या समुत्थान में विनियम 20 के अधीन नियोजित रहा है, तो कलक्टर द्वारा ऐसे परिवर्तन का अनुमोदन किया जा सकता है यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रतिकूल बात नहीं है।

17. किसी समुत्थान के गठन में परिवर्तन

जहां इन विनियमों के अधीन ऐसे व्यक्ति के पक्ष में दी गई या नवीकृत अनुज्ञप्ति, उस व्यक्ति की मृत्यु के कारण प्रवृत्त नहीं रह गई है, तो उसके विधिक वारिस को, जो सीमा शुल्क से माल की निकासी के कार्य में उसकी सहायता करता रहा है और जो इस रूप में विनियम 20 के अधीन नियोजित रहा है, अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी यदि उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल बात नहीं है, और यदि वह विनियम 9 के अधीन परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है।

18. फर्म या कंपनी की ओर से सीमा-शुल्क स्टेशन में वस्तुतः नियोजित कार्मिक में परिवर्तन

फर्म या कंपनी की ओर से सीमाशुल्क स्टेशन में वस्तुतः नियोजित कार्मिकों मे परिवर्तन के विषय में संसूचना, यथा-स्थिति, फर्म या कंपनी द्वारा सहायक कलक्टर को तुरंत दी जा जाएगी और किसी भी नए व्यक्ति को सीमाशुल्क स्टेशन में उस फर्म या कंपनी की ओर से सम्यक्तः प्राधिकृत कर्मचारी के रूप में काम तब तक नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि वह विनियम 9 में निर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता।

19. लेखाओं को बनाए रखना और उनका निरीक्षणः

(1) वह अनुज्ञप्तिधारी जिससे इन विनियमो के अधीन लेखाओं को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है, लेखाओं को, —

(क) क्रमवार और सदवार रीति में रखेगा और उन्हें अद्यतन बनाए रखेगा,

(ख) सीमा-शुल्क सदन अभिकर्ता के सभी वित्तीय संव्यवहारों को दर्शित करेगा।

(2) वह प्रवेश-पत्र, पोत-पत्र, स्थानान्तरण के आवेदन-पत्र आदि के प्रत्येक दस्तावेज की एक प्रति और सीमा-शुल्क सदन अभिकर्ता के रूप में उसके कारबार से संबंधित सभी पत्र-व्यवहार और अन्य कागज-पत्रों की प्रतियां फाइल में रखेगा, और बनाए रखेगा।

(3) वे सभी अभिलेख और लेखे, जिन्हें इन विनियमों के अधीन बनाए रखना अपेक्षित है, कम से कम पांच वर्ष के लिए परिरक्षित किए जाएंगे और वे ऐसे अभिलेखों और लेखों का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के निरीक्षण के लिए हर समय उपलब्ध कराए जाएंगे।

20. व्यक्तियों का नियोजन —(1) अनुज्ञप्तिधारी कारबार के उस परिणाम को ध्यान में रखते हुए जो उसके द्वारा किया जाता है, सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहायता के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियोजित कर सकता है।

(2) उप विनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति, सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर का जो इस निमित्त कलक्टर द्वारा पदाभिहित हो, अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही की जाएगी और अनुमोदन करते समय वह इस प्रकार नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पूर्ववृत्त और उसके चरित्र संबंधी अन्य जानकारी को ध्यान मे रखेगा।

(3) उप विनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति की यह शर्त होगी कि वह एक सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर द्वारा या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त की जाने वाली सीमा-शुल्क अधिकारियों की समिति द्वारा ली जाने वाली परीक्षा अपनी नियुक्ति की तारीख से छह मास के अन्दर उत्तीर्ण करेगा और वह परीक्षा इस प्रकार होगी कि उस कानून के उपबंधों के बारे में ऐसे व्यक्ति को पर्याप्त ज्ञान अभिनिश्चित किया जा सकेगा जिसके अधीन माल और यात्री सामान की सीमा-शुल्क से निकासी की जाती है।

परन्तु यदि कोई ऐसा व्यक्ति उप विनियम (3) में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर परीक्षण उत्तीर्ण करने में असफल

रहता है, तो सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को पुनः परीक्षा देने की अनुज्ञा दे सकता है किन्तु ऐसा आदेश किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जाएगा जिसे चार बार परीक्षा देने का अवसर दिया जा चुका है।

(4) उप विनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी सीमा-शुल्क परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हो, सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर के अनुमोदन से किसी अन्य सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता के अधीन उसकी नियुक्ति होने पर ऐसी परीक्षा पुनः उत्तीर्ण करने से ऐसे प्राधिकारी द्वारा छूट दी जा सकती है।

(5) यदि सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता अपने द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को अपनी ओर से ऐसे अभिकर्त्ता के कारबार से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत कर देता है, तो वह सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर को इस निमित्त एक लिखित प्राधिकार पत्र फाइल करेगा और यदि ऐसा प्राधिकार पत्र उपान्तरित या प्रत्याहृत कर लिया जाता है, तो इस संबंध में वह तत्काल लिखित सूचना देगा।

(6) सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर, सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता के प्रत्येक लिपिक या सेवक को एक पहचान-पत्र जारी करेगा जो—

(i) यदि वह उपविनियम (3) में निर्दिष्ट परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है तो प्ररूप छ में होगा,

(ii) यदि वह ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ है, तो प्ररूप ज में होगा,

और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति सीमा-शुल्क सदन में काम करने के दौरान हर समय अपने पास पहचान-पत्र रखेगा और सीमा-शुल्क सदन के किसी अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर उसे निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।

(7) सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता ऐसे पर्यवेक्षण को प्रयोग करेगा जो सीमा-शुल्क सदन का कारबार करने में किसी ऐसे लिपिक या सेवक का उचित आचरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो और वह उसके नियोजन को बाबत अपने कर्मचारियों के सभी कार्यों या लोपों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

21. अनुज्ञप्ति निलंबित करना या प्रतिसंहृत करना :

(1) सीमा-शुल्क कलक्टर विनियम 23 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता की जहां तक कलक्टर की अधिकारिता का संबंध है, अनुज्ञप्ति को निम्नलिखित में किन्हीं आधारों पर निलंबित या प्रतिसंहृत कर सकेगा और प्रतिभूति के समपहरण का आदेश भी कर सकेगा :—

(क) विनियम 11 के अधीन सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता द्वारा निष्पादित बन्धपत्र की किसी भी शर्त का उसके द्वारा अनुपालन करने में असफल रहना,

(ख) इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध का सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता द्वारा अनुपालन करने में असफल रहना, चाहे उक्त कलक्टर की अधिकारिता के भीतर या अन्यत्र हो,

(ग) उसकी ओर से ऐसा अवचार जो सीमा-शुल्क कलक्टर की अधिकारिता के भीतर या अन्यत्र हो जो सीमा-शुल्क कलक्टर की राय में उसे सीमा-शुल्क सदन में कोई कारबार करने के अयोग्य बना देता है,

(2) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए सीमा-शुल्क कलक्टर, समुचित मामलों में, जहां तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो, सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता की अनुज्ञप्ति को तब निलंबित कर सकेगा जब ऐसे अभिकर्त्ता के विरुद्ध कोई जांच लंबित हो या जांच करने का विचार हो।

22. प्रतिषेध : विनियम 21 में किसी बात के होते हुए सीमा-शुल्क कलक्टर, किसी सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता को सीमा-शुल्क सदन के एक या अधिक अनुभागों में कार्य करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे अभिकर्त्ता ने उस अनुभाग या अनुभाग में काम के संबंध में विनियम 14 के अधीन अधिकथित अपनी बाध्यताओं को पूरा नहीं किया है।

23. विनियम 21 के अधीन अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसंहृत करने के लिए प्रक्रिया :

(1) सीमा-शुल्क कलक्टर, सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता को एक लिखित सूचना जारी करेगा जिसमें उन आधारों का उल्लेख किया जाएगा जिन पर उसकी अनुज्ञप्ति को निलंबित या प्रतिसंहृत करने की प्रस्थापना है और उस सूचना में उक्त अभिकर्त्ता से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपनी प्रतिरक्षा के लिए एक लिखित विवरण सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा नाम निर्देशित सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर को प्रस्तुत करे और उक्त विवरण में यह भी विनिर्दिष्ट करे कि क्या सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता यह चाहता है कि सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर उसकी व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करे।

(2) सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता से लिखित विवरणी प्राप्त होने पर या उपविनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ऐसा विवरण प्राप्त न होने पर, सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर उन आधारों के बारे में, जो स्वीकार नहीं किए गए हैं, जांच कर सकता है।

(3) सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर जांच के दौरान ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करेगा और ऐसा मौखिक साक्ष्य लेगा जो उन आधारों की बाबत, जिन पर कार्यवाही की जाएगी, जांच के लिए सुसंगत और तात्विक हो और वह सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता के पक्ष या विपक्ष में साक्ष्य देने वाले

किसी व्यक्ति से सही स्थिति सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कोई भी प्रश्न कर सकता है।

(4) सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता उस व्यक्ति की प्रति-परीक्षा करने का हकदार होगा जिसकी उन आधारों के समर्थन में, जिन पर कार्यवाही की जाएगी, परीक्षा की गई है और जहां सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर किसी व्यक्ति की इस आधार पर परीक्षा करने से इंकार करता है कि उसका साक्ष्य सुसंगत या तात्विक नहीं है वहां वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(5) पूर्वोक्त जांच के समाप्त होने पर, सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए जांच रिपोर्ट तैयार करेगा।

(6) सीमा-शुल्क कलक्टर सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर की रिपोर्ट की एक प्रति सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता को देगा और सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जो साठ दिन से कम की नहीं होगी, ऐसा अभ्यावेदन देने की अपेक्षा करेगा जो सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर के निष्कर्षों के विरुद्ध देना चाहता है।

(7) सीमा-शुल्क कलक्टर, जांच रिपोर्ट और उस संबंध में सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे।

24. अनुज्ञप्ति की मंजूरी से स्थान सुविधा का अधिकार न हो जाना :

इन विनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति की मंजूरी सीमा-शुल्क सदन में स्थानसुविधा का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती।

25. निकासी परीक्षाओं को नियत किया जाना :

(1) सीमा-शुल्क कलक्टर समय-समय पर सीमा-शुल्क सदन पर रजिस्ट्रीकृत मान्यताप्राप्त सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता संगम, यदि कोई हो, के परामर्श से उन प्रभारों को अधिसूचित कर सकेगा, जो सीमा-शुल्क से माल की निकासी और प्रवहण से संबद्ध सेवाओं के लिए सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ताओं द्वारा प्रभारित की जा सकेगी। सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता, इस प्रकार अधिसूचित दरों का कड़ाई से पालन करेगा।

(2) प्रत्येक सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता, सीमा-शुल्क सदन में रजिस्ट्रीकृत और सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा मान्यता-प्राप्त सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता संगम के यदि कोई रजिस्ट्रीकृत हो एक सदस्य के रूप में अपना नाम लिखवायेगा।

26. निरसन:

(1) सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता अनुज्ञापन विनियम 1965 इस के द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता अनुज्ञापन विनियम, 1965 के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इन विनियमों के तत्समान उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

[फा०सं० 502/8/83-सीमा शुल्क-6)]

आर०एस० सिद्धु, अवर सचिव
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

प्ररूप—क

विनियम 5 देखिए

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 146 के अधीन सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता की अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदन प्ररूप

1. आवेदक का नाम : (यदि आवेदक फर्म या कम्पनी है तो यथास्थिति फर्म के प्रत्येक भागीदार या कम्पनी के निदेशकों का नाम)।
2. आवेदक का पूरा पता: (यदि आवेदक फर्म या कोई कम्पनी है तो यथास्थिति, फर्म के प्रत्येक भागीदार या कम्पनी के निदेशकों का पूरा पता)।
3. यदि आवेदक फर्म या कम्पनी है, तो उसके भागीदार/भागीदारों या निदेशक/निदेशकों का अथवा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी ऐसे कर्मचारी का नाम जिसे सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता के रूप में वस्तुतः काम पर लगाया जाएगा।
4. यदि लिपिक या सेवक की नियुक्ति करना वांछित है तो यथास्थिति, लिपिक या सेवक का नाम और पता।
5. ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक अर्हताएं जिसे सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता के रूप में वस्तुतः काम पर लगाया जाएगा।
6. अंग्रेजी और स्थानीय भाषा और हिन्दी के ज्ञान की बाबत विशिष्टियां (ये विशिष्टियां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की बाबत अपेक्षित है जिसको सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता के रूप में वस्तुतः काम पर लगाया गया है)।
7. सीमा-शुल्क विधि और प्रक्रिया के ज्ञान की बाबत विशिष्टियां (ये विशिष्टियां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की बाबत अपेक्षित है जिसे सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता के रूप में वस्तुतः काम पर लगाया गया है)।
   विनियम 6 के अनुसार दी गई प्रत्येक दस्तावेज का संस्थांक और तारीख।
8. क्या आवेदक ने सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने के लिए इससे पहले आवेदन किया था और क्या ऐसा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था।
9. आवेदक को यह भी उपदर्शित करना होगा कि उस फर्म या कम्पनी ने, जहां वह इससे पहले (पूर्व में) नियोजित था; इन्हीं विनियमों के अधीन अपने पास सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता अनुज्ञप्ति रखी थी और यह कि क्या उसे रद्द या निलम्बित कर दिया गया था।

10. क्या आवेदक या उसके द्वारा नियोजित किए जाने को प्रस्थापित कोई व्यक्ति सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों में से किसी के अधीन दण्डित, सिद्धदोष या अभियोजित किया गया है ?

11. विनियम 6 के अनुसार प्रस्तुत किए गए प्रत्येक दस्तावेज की संख्या और तारीख ।

मैं/हम यह प्रतिज्ञान करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता अनुज्ञापन विनियम, 1984 को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं ।

तारीख आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

1——————

2——————

प्ररूप-ख

(विनियम 8 देखिए)

सीमा-शुल्क सदन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति

श्री/सर्वश्री ———————— को ————————

सीमा-शुल्क सदन में सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता के रूप में कारबार का संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। यह अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगी ।

इस अनुज्ञप्ति की यह शर्त है कि किसी फर्म या कम्पनी की दशा में सीमा-शुल्क सदन के काम का व्यवहार निम्नलिखित में से किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

व्यक्तियों के नाम	नमूना हस्ताक्षर
(1) ————	————
(2) ————	————
(3) ————	————
(4) ————	————
(5) ————	————

सीमा-शुल्क स्टेशन जारी किए जाने की तारीख ।

सीमा-शुल्क कलक्टर के हस्ताक्षर और मुहर

प्ररूप-ग

(विनियम 10 देखिए)

(नियमित अनुज्ञप्ति)

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 146 के अधीन सीमा-शुल्क सदन अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदन प्ररूप ।

1. आवेदक का नाम : (यदि आवेदक फर्म या कम्पनी है तो यथास्थिति फर्म के प्रत्येक भागीदार या कम्पनी के निदेशकों का नाम) ।

2. आवेदक का पूरा पता : (यदि आवेदक फर्म या कोई कम्पनी है तो यथास्थिति, फर्म के प्रत्येक भागीदार या कम्पनी के निदेशकों का पूरा पता) ।

3. यदि आवेदक फर्म या कम्पनी है, तो उसके भागीदार/भागीदारों या निदेशक/निदेशकों का अथवा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी ऐसे कर्मचारी का नाम जिसे सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता के रूप में वस्तुतः काम पर लगाया जाएगा ।

4. यदि लिपिक या सेवक की नियुक्ति करना वांछित है तो यथास्थिति, लिपिक या सेवक का नाम और पता ।

5. ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक अर्हताएं जिसे सीमा-शुल्क सदन अभिकर्ता के रूप में वस्तुतः काम पर लगाया जाएगा ।

6. अंग्रेजी और स्थानीय भाषा और हिन्दी के ज्ञान की बाबत विशिष्टियां (ये विशिष्टियां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की बाबत अपेक्षित है जिसको सीमा-शुल्क सदन अभिकर्ता के रूप में वस्तुतः काम पर लगाया गया है) ।

7. सीमाशुल्क विधि और प्रक्रिया के ज्ञान की बाबत विशिष्टियां (ये विशिष्टियां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की बाबत अपेक्षित हैं जिसे सीमा-शुल्क सदन अभिकर्ता के रूप में वस्तुतः काम पर लगाया गया है)
विनियम 6 के अनुसार दी गई प्रत्येक दस्तावेज का संख्यांक और तारीख ।

8. विनियम 10 के अनुसार अस्थायी अनुज्ञप्ति चालू रहने के दौरान निकासी किए गए स्टोरों की मात्रा या मूल्य की विशिष्टियां ।

9. क्या आवेदक ने सीमा-शुल्क अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए इससे पहले आवेदन किया था और क्या ऐसा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था ।

10. आवेदक को यह भी उपदर्शित करना होगा कि उस फर्म या कम्पनी ने, जहां वह इससे पहले (पूर्व में) नियोजित था ? इन्हीं विनियमों के अधीन अपने पास सीमा-शुल्क सदन अभिकर्ता अनुज्ञप्ति रखी थी और यह कि क्या उसे रद्द या निलम्बित कर दिया गया था ।

11. क्या आवेदक या उसके द्वारा नियोजित किए जाने को प्रस्थापित कोई व्यक्ति सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों में से किसी के अधीन दण्डित, सिद्धदोष या अभियोजित किया गया है ?

12. विनियम 6 के अनुसार प्रस्तुत किए गए प्रत्येक दस्तावेज की संख्या और तारीख ।

मैं/हम यह प्रतिज्ञान करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने सीमा-शुल्क सदन अभिकर्ता अनुज्ञापन विनियम, 1984 को

पढ़ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं ।

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

1.

2.

प्ररूप - घ

(विनियम 11 देखिए)

सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियमित अनुज्ञप्ति

श्री/सर्वश्री ——————को किसी सीमा-शुल्क सदन में सीमा-शुल्क सदन अभिकर्ता के रूप में कारबार का सव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है यह अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष के लिए विधिमान्य होगी ।

इस अनुज्ञप्ति की यह शर्त है कि किसी फर्म या कम्पनी की दशा में सीमा-शुल्क सदन के काम का सव्यवहार निम्नलिखित में से किसी एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

व्यक्तियों के नाम	नमूना हस्ताक्षर
(1) ——————	——————
(2) ——————	——————
(3) ——————	——————
(4) ——————	——————
(5) ——————	——————

सीमा-शुल्क स्टेशन। सीमा-शुल्क कलक्टर के हस्ताक्षर
जारी किए जाने की तारीख और मुहर

प्ररूप-ङ०

(विनियम 11 देखिए)

बंधपत्र

19——————का————————————संख्यांक

इन विलेखों द्वारा यह सब को ज्ञात हो कि हम भारत के राष्ट्रपति के प्रति —————— रुपए का संदाय करने के लिए वचनबद्ध हैं और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हैं । इसका संदाय करने के लिए हम और हम में से प्रत्येक स्वयं को, अपने अपने प्रत्येक वारिस, निष्पादक, प्रशासक को आज तारीख—————— को इस विलेख द्वारा आबद्ध करते हैं ।

उक्त ——————को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 146 के अधीन सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और उक्त —————— ने सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता अनुज्ञापन विनियम, 1984 (जिसे इसमें आगे इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) द्वारा यथा अपेक्षित इस बन्धपत्र को निष्पादित करने के लिए करार किया है ।

उक्त ——————ने उक्त विनियम की बाबत अपने और अपने लिपिकों और सेवकों के निष्ठावान आचरण के लिए प्रतिभूति के रूप में भारत के राष्ट्रपति के पास—————— रुपए . की राशि जमा कर दी है ।

उक्त लिखित बंधपत्र की शर्त यह है कि यदि उक्त———————— और उसके लिपिक और सेवक यथापूर्वोक्त ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने के दौरान सभी समय उक्त विनियमों की बाबत निष्ठावान रीति में आचरण करेंगे और यदि उक्त ——————और उनके निष्पादक या प्रशासक भारत के राष्ट्रपति को ऐसी सभी धनराशि की प्रतिपूर्ति करेंगे जो सरकार को देय होने पर, उक्त ——————या उसके लिपिकों या सेवकों के अपकरण या उनकी उपेक्षा के कारण भारत के राष्ट्रपति को संदत्त नहीं हुई है तो उक्त लिखित बन्ध-पत्र शून्य हो जाएगा, अन्यथा यह बन्ध-पत्र पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील रहेगा और इस प्रकार बना रहेगा । इसके द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि भारत के राष्ट्रपति यथापूर्वोक्त जमा की गई —————— रुपए की उक्त धनराशि को, उक्त ——————या उसके लिपिकों या सेवकों के अपकरण या उनकी अपेक्षा के कारण सरकार को देय सभी धनराशियों का भारत के राष्ट्रपति को प्रतिपूर्ति करने के लिए उपयोजन कर सकेगा ।

इसके द्वारा यह करार किया जाता है कि —————— रुपए की उक्त धनराशि उक्त तारीख के पश्चात् जब उक्त ——————सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता के रूप में कार्य करना बन्द कर देता है, उक्त ——————या उसके लिपिकों या सेवकों के अपकरण या उनकी उपेक्षा के कारण सरकार को देय किसी धनराशि के संदाय के लिए प्रतिभूति के रूप में 12 कलैण्डर मास के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास रहेगी, और जिसका उक्त तारीख के पश्चात् तक शोधन नहीं किया जा सकेगा । यह बंधपत्र 12 मास की उक्त अवधि की समाप्ति तक पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील रहेगा । यह भी करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि भारत का राष्ट्रपति, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 के अधीन मांगपत्र के जारी किए जाने के पश्चात् भी, ऐसी धनराशियों के असंदत्त रहने की दशा में आयातकर्ता या निर्यातकर्ताओं की ओर से उक्त ——————द्वारा किए गए किन्हीं संव्यवहारों की बाबत शुल्क या अन्य प्रभारों के संग्रहण में किसी कमी की पूर्णतः या भागतः प्रतिपूर्ति करने में —————— रुपए की उक्त धनराशि का उपयोजन कर सकेगा ।

उक्त नामित —————— ने

1. ——————

2. ——————

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, मुद्रा लगाई और परिदान किया ।

भारत के राष्ट्रपति के लिए
और उनकी ओर से स्वीकृत

सीमाशुल्क क्लक्टर के हस्ताक्षर
और पदाभिदान

प्ररुप —ख

(विनियम 11 देखिए)

प्रतिभू-बंधपत्र

19————का————संख्यांक

इन विलेखों द्वारा यह सभी को ज्ञात हो कि हम———— (क) और ————(ख)————भारत के राष्ट्रपति के प्रति, ————रुपए का संदाय करने के लिए वचनबद्ध और आबद्ध है । इसका संदाय करने के लिए हम और हम में से प्रत्येक स्वयं को, अपने अपने प्रत्येक वारिस, निष्पादक और प्रशासक को आज तारीख ————से आबद्ध करते है ।

उक्त ————(क)————को सीमाणुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 146 के अधीन उक्त सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और उक्त ————(ख) ————ने उक्त धारा के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा अपेक्षित इस बंधपत्र को निष्पादित करने के लिए करार किया है,

अब उक्त लिखित बंधपत्र की यह शर्त है कि यदि उक्त ————(क) ————यथापूर्वोक्त ऐसा प्राधिकार पत्र धारण करने के दौरान सभी समय सीमा-शुल्क सदन विनियमों की बाबत निष्ठावान और अभ्रष्ट रीति में आचरण करेंगे और उक्त ————(क) ————और (ख) ———— उनके निष्पादक या प्रशासक उनमें से कुछ या एक भारत के राष्ट्रपति को ऐसी सभी और प्रत्येक धनराशि का जो सरकार को देय होने पर, उक्त ————(क) के अपकरण या उसकी उपेक्षा के कारण भारत के राष्ट्रपति को संदत्त नही की गई है, हर समय प्रतिपूर्ति करे तो उक्त लिखित बंधपत्र शून्य हो जाएगा, अन्यथा यह बंधपत्र पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील रहेगा ।

ऊपर नामित ————ने

1. ————

2. ————

की उपस्थिति मे हस्ताक्षर किए, मुद्रा लगाई और परिदान किया ।

आज तारीख ————मेरे समक्ष निष्पादित किया गया ।

1. ————

2. ————

सीमाशुल्क कलक्टर के हस्ताक्षर
और पदाभिधान

प्ररुप—छ

(विनियम 20 देखिए)

पहचान पत्र

श्री————को, जो ————का है, इस कार्यालय की बहियों में श्री, सर्वश्री ————जो———— का है, के लिपिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका है और उसे उसकी, उनकी ओर से ————सीमाशुल्क सदन में कारबार का संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः वह तारीख ————से ————वर्ष की अवधि तक या उसके प्रधान को जारी की गई अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है ।

लिपिक————का नमुना हस्ताक्षर

आयु————

(फोटो अभिकर्ता द्वारा दिया जाएगा)

सीमाशुल्क स्टेशन

————19—

प्ररुप—ज

(विनियम 24 देखिए)

अनन्तिम पहचान सह प्राधिकार-पत्र

श्री———— को, जो ————का है, इस कार्यालय की बहियों में श्री, सर्वश्री ————जो———— का है, के लिपिक, सेवक के रूप में अनन्तिम रूप से रजिस्ट्रीकृत किए जाने पर और उसे, उसकी, उनकी ओर से ———— सीमाशुल्क सदन में कारबार का संव्यवहार करने के लिए उसके/उनके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, तारीख———— से ————तक की अवधि के लिए ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है । इस पहचान पत्र का नवीकरण या स्थायी पहचानपत्र का जारी किया जाना विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन है और पत्र उसके प्रधान को जारी की गई अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने पर समाप्त हो जाएगा ।

लिपिक का नमुना हस्ताक्षर अभिकर्ता

सीमाशुल्क स्टेशन
(फोटो अभिकर्ता द्वारा दिए जाएंगे)

तारीख ————19————

CENTRAL BOARD OF EXCISE & CUSTOMS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 1984

No. 85 CUSTOMS|84

G.S.R. 220(E).—In exercise of powers conferred by sub section (2) of Section 146 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise & Customs hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement:—(i) These regulations may be called the Customs House Agents Licensing Regulations, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions:—In these regulations, unless the context otherwise requires :

(a) "Act" means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) "company" means a company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(c) "Customs House Agent" means a person licensed under these regulations to act as agent for the transaction of any business relating to the entry or departure of conveyance or the import or export of goods at any customs station;

(d) "firm", "firm name", "partner" and "partnership" have the meanings respectively assigned in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932), but the expression "partner" shall also include any person, who being a minor has been admitted to the benefits of partnership;

(e) "form" means a form appended to these regulations;

(f) "Section" means a Section of the Act.

(g) The expression "Collector and Customs Station", shall have the same meaning as in the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

3. Licence where not required:—No licence under these regulations shall be required by :—

(a) importer or exporter transacting any business at a Cuctoms Station solely on his own account;

(b) any employee of any person or a firm transacting business generally on behalf of such person or firm; and

(c) an agent employed for one or more vessels in order solely to enter or clear such vessels for work incidental to his employment as such agent.

4. Invitation of Application:—The Collector may invite applications for the grant of a licence to act as Custom House Agent in the month of January every year by means of a notice affixed on the notice board of each Customs Station as well as through publication in at least two newspapers having circulation in the area, of his jurisdiction specifying therein the last date of reciept of application. Such application shall be for clearance work within the jurisdiction of the said Collector.

5. Application for licence:—(1) An application for a licence to act as a Custom House Agent in a custom station shall be made in Form A and shall inter alia cntain the name and the address of the person applying; and

(2) if the applicant is a firm—

(a) the name and address of every partner of the firm, the firm name, and

(b) the name of the partner or the duly authorised employee, who will actually be engaged in the clearance of goods or conveyances through the customs.

(3) if the applicant is a company —

(a) the name of each director, manager, managing director and

(b) the names of director, manager or the duly authorised employee, who will actually be engaged in the clearance of goods or conveyances through the customs.

6. Conditions to be fulfilled by the applicant:—The applicant or the person referred to in clause (b) of sub-regulations (2) and (3) of Regulation 5 as the case may be, shall prove to the satisfaction of the Collector that he;

(a) has the experience of work relating to clearance of goods through the customs for a period of not less than one year; and

(b) the applicant has financial viability supported by a certificate issued by a Scheduled Bank or such other proof acceptable to the Collector evidencing possession of assets of the value of not less than Rs. 1 lakh in the case of applicants for the grant of licence in respect of any one of the Customs Stations at Bombay, Calcutta, Madras, Cochin, Kandla, Goa, Mangalore, Tuticorin or Visakhapatnam and not less than Rs. 50,000|- in the case of each of the other Customs Stations, situated at places other than those specified above.

Provided that in cases where a Collector's jurisdiction extends to more than one Customs Station the Collector may issue one licence for all the Stations or more than one such Station to be specified in the licence, waiving the need for separate compliance of the provisions of clauses (a) and (b) above for such additional Customs Stations. The Collector may also waive the need for separate compliance of the requirement of Regulation 11 in such cases.

Provided further that in places where there is more than one Collector exercising jurisdiction over different Customs Stations and Customs House Agents licenced under the Customs House Agents Licencing Regulations, 1965 have been operating in the said Customs Stations on the basis of one licence, it shall be open to such Agents to obtain a temporary licence under Regulation 8 from the Collector other than the one who has issued them the existing licence, without being required to comply with the requirements of regulation 6 in regard to financial viability or the requirements as to fresh deposit in terms of regulation 11.

7. Scrutiny of applications for Licence:—On receipt of application under regulation 5 the Collector may make enquiries for verification of the particulars set out in the application and also such other enquiries as he may deem necessary including enquiries about the reliability and financial status of the applicant.

8. Grant of temporary licence:—(1) Any applicant whose application is received within the last date specified in regulation 4 and who statisfies the requirements of regulations 5 and 6, shall be permitted to operate as Custom House Agent as the Customs Station for which the applications is made initially for the period of one year against temporary licence granted by the Collector in this regard in From B:

Provided that the evidence is produced to the Collector that the applicant has already availed of two changes for qualifiying in the written or oral, examination prescribed in these regulation and would like to avail of the third chance as soon as the next examination is held in terms of regulation 9 and that the applicant has been able to account for the minimum volume of work prescribed for such agents in the course of one year's working, the Collector may extend the aforesaid period of one year for which the temporary licence has been granted by another six months or such further period not exceeding one year to enable the applicant to avail of the third chance for qualifying in the examination in terms of regulation 9. While granting such extension the Collector of Customs shall satisfy himself that the requirements of Regulation 10(1) (a) and 10(1) (b) had been fully met by the applicant.

9. Examination of the applicant.—(1) The holder of a temporary licence in the case of an individual and the person or persons who will be acually engaged in the work of clearance of goods through customs on behalf of the firm or company holding a temporary licence, as the case may be, shall be required to qualify in examination, at the earliest opportunity. Such person or persons shall be eligible to appear in the examination as soon as a temporary licence is granted and shall be permitted to avail of three chances within a period of 2 years from the date of issue of the temporary licence on payment of prescribed examination fee of Rs. 250/- for each examination.

(2). The examination referred to in sub-regulation (i) shall include a written and oral examination and will be conducted twice every year. Each applicant would be permitted to avail of a maximum of three chances to qualify in the said examination but all such chances should be availed of within a maximum period of 2 years from the date of grant of temporary licence.

(3) The examination may include questions on the following :—

(a) preparation of various kinds of bills of entry and shipping bills ;

(b) arrival, entry and clearance of vessels ;

(c) tariff classification and rates of duty ;

(d) determination of value for assessment ;

(e) conversion of currency ;

(f) nature and description of documents to be filed with various kinds of bills of entry and shipping bills ;

(g) procedure for assessment and payment of duty ;

(h) examination of merchandise at the Customs Stations ;

(j) provisions of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958) ;

(j) prohibitions on import and export ;

(k) bonding procedure and clearance from bond ;

(l) re-importation and conditions for free re-entry ;

(m) drawback ;

(n) officences under the Act ;

(o) the provisions of allied acts including Imports and Exports (Control) Act, 1947 (180 of 1947) Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973), Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884) Arms Act, 1959 (54 of 1959), Opium

Act, 1978 (1 of 1978), Drugs and Costmetics Act, 1940 (23 of 1940), Destructive Insects, and pests Act, 1914 (2 of 1914), Dangerous Drugs Act, 1930 (202 of 1930) in so far they are relevant to the clearance of goods thrugh Customs.

('p) procedure in the matter of refund of duty paid, appeals and revision petitions under the Act.

(4) The Collector shall also satisfy himself whether the licence in Form B, if he is an individual , possesses, or in the case of a firm or company, the persons who will be actually engaged in the work relating to clearance of goods through customs on behalf of that firm or company, possess satisfactory knowledge of English and the local language of the customs station:

Provided that in the case of person deputed to work exclusively in the docks, knowledge of English will not be complusory. Knowledge of Hindi will be considered as an additional or desirable qualification.

10. Grant of regular licence.—(I) The Collector shall, on receipt of an application in Form C, grant a regular licence in Form D on payment of fee of Rs. 500|- to such holder of a temporary licence who qualifies in an examination referred to in regulation 9 and whose performance is found to be satisfactory with reference, inter-alia, to the following :—

(a) Quantity or value of cargo cleared by such licencee conforming to norms as may be prescribed by the Collector;

(b) absence of instances of delay either in the clearance of goods or in the payment of duty for any reason attributable to such licencee and any complaints of misconduct including non-compliance of any of the obligations specified in regulation 14.

(2) The Customs House Agents who are granted regular licences under regulation 10, shall be eligible to work in all Customs Stations subject to fulfilment of the following requirements :

(a) the Licencee shall make an application to the Collector of the concerned Customs Station where he intends to transact business for purposes of registering himself and his authorised staff;

(b) he fulfils the conditions stipulated in clause (b) of regulation 6 relating to financial soundness and possesses the ability to provide adequate warehousing and transport facilities at the place of clearance of goods and production of evidence relating to availability of sufficient clientele at his disposal;

(c) he shall also be required to enter into a separate bond in Form D for due observations of these regulations and to furnish a separate Bank guarantee for each Custom Stations as stipulated under regulation 11;

(d) On fulfilment of the aforesaid conditions the Collector of the Cuctoms Station at which the Licencee intends to transact business shall grant a licence in Form D, authorising him to transact business at that Customs Station.

Provided that no separate licence would be required in place where in addition to a Customs House handling imports by Sea, there is also an International airport to handle imports by even if under the jurisdiction of a different Collector.

(3) The Collector may reject an application for the grant of regular licence to act as Custom House Agent if the holder of the temporary licence fails to qualify in the examination in terms of Regulation 9, or the holder of temporary licence on evaluation of his performance in terms of Regulation 10 is not considered suitable due to any other reason to be stated in the orders passed by the Collector.

11. Execution of bond and furnishing of security.—Before granting a temporary licence under regulation 8 or a regular licence under regulation 10, the concerned Collector shall require the applicant to enter into a bond in Form for due observation of these Regulations and shall require him to furnish a Bank Guarantee|Postal security|National Savings Certificate in the name of Collector of Customs for an amount of.25,000|- for Customs Stations as mentioned in Regulation 6 and Rs. 10,000|- in the case of other Customs Stations. For transacting business at more than one Customs Station falling within the purisdiction of different Collectors a separate bond accompanied by appropriate Bank Guarantee would be required to be executed. If the applicant furnishes Postal Security or National Savings Certificate, the same shall be pledged in the name of Collector and the individual shall get the benefit of interest accruing on it.

12. Period of validity of a regular licence.—(1) A licences granted under regulation 10 shall be valid for a period of three years.

(2) On an application made in this behalf to the Collector before the expiry of the period re-

ferred to in sub-regulation (1), he may renew the same for a further period of three years.

(3) The fee for renewal of a licence under sub-regulation (2) shall be Rs. 100|-.

13. Licence not transferable.—Every licence granted or renewed under these regulations shall be deemed to have been granted or renewed in favour of the licensee and no licence shall be sold or otherwise transferred.

14. Obligations of Custom House Agent.—A Custom House Agent shall,

(a) obtain an authorisation from each of the companies, firms or individuals by whom he is for the time being employed as Custom House Agent and produce such authorisation whenever required by an Assistant Collector of Customs.

(b) transact business in the customs station either personally or through an employee duly approved by the Assistant Collector of Customs, designated by the Collector;

(c) not represent a client before an officer of Customs in any matter to which he, as officer of the Department of Customs gave personal consideration, or as to the facts of which he gained knowledge, while in Government service;

(d) advise his client to comply with the Provisions of the Act and in case of non-compliance, shall bring the matter to the notice of the Assistant Collector of Customs;

(e) exercise due diligence to ascertain the correctness of any information which he imparts to a client with reference to any work related to clearance of cargo or baggage;

(f) not with hold information relating to clearance of cargo or baggage issued by the Collector from a client who is entiled to such information;

(g) promptly pay over to the Government, when due, sums received for payment of any duty, tax or other debit or obligations owing to the Government and promptly account to his client for funds received for him from the Government or received from him in excess of Governmental or other charges payable in respect of the clearance of cargo or baggage on behalf of the client;

(h) not procure or attempt to procure directly indirectly, information from the Government records or other Gvernment sources of any kind to which access is not granted by proper officer;

(i) not attempt to influence the conduct of any official of the Customs station in any matter pending before such official or his subordinates by the use of threat, false accusation, duress or the officer of any special inducement or promise of advantage or by the bestowing of any gift or favour or other thing of value;

(j) not refuse access to, conceal, remove or destory the whole or any part of any book, paper or other record, relating to his transactions as a Custom House Agent which is sought or may be sought by the Collector.

(k) maintain records and accounts in such form and manner as may be directed from time to time by an Assistant Collector of Cuctoms and submit them for inspection to the said Assistant Collector of Customs or an officer authorised by him whenever required;

(l) ensure that all documents prepared or presented by him or on his behalf are strictly in accordance with orders relating thereto;

(m) ensure that all documents, such as bills of entry and shipping bills, delivered in the customs station by him show the name of the importer or exporter, as the case may be, and the name of the Custom House Agent, prominently at the top of such documents;

(n) in the event of the licence granted to him being lost, immediately report the fact to the Collector; and

(o) ensure that he discharges his duties as Custom House Agent with utmost speed and efficiency and without avoidable delay.

(p) not charge for his services as Custom House Agent in excess of the rates approved by the Collector from time to time under regulation 25.

15. Charge in directors of company, etc.—In case a company holding a licence under regulation 10, undergoes any change in the directors, managing director or managers, such change shall be forthwith communicated by the such licencee to the Collector.

16. Change in constitution of a firm.—(1) In the case of any firm being a licensee any change in the constitution thereof shall be reported to the Collector as early as possible and any such firm indicating such change shall make a fresh applisation to the said Collector within thirty days for the grant of licence under regulation 5 or regulation 10 as the case may be. On scrutiny of such applications the Collector may grant to the firm a fresh licence of the category hold by the applicant prior to the change in the constitution, if there is nothing adverse against him.

Provided that the existing firm if it moves an application to that effect, may be allowed to carry on the business of Custom House Agent till such time as a decision is taken on the fresh application of the firm.

(2) Where a licence granted or renewed under these regulations in favour of a firm ceases to be in force because the death of a partner and the partnership deed provides that the firm will continue with the surviving partners, with or without the legal heir of the deceased who has been employed under regulation 20, a licence may be granted to such firm, if there is nothing adverse against the firm or its partners.

(3) When a firm to which a licence has been granted or renewed under these regulations requests change in the constitution thereof for taking as partner a person who has been employed under regulation 20 in the firm or concern for a period of not less than five years immediately preceding the date of such request, such change may be approved by the Collector if there is nothing adverse against such person.

17. Change in the Constitution of a concern.—Where a licence granted or renewed under these regulations in favour of a person has ceased to be in force because of the death of that persons his legal heir who has been assisting in the work of clearance of goods through the Customs and employed as such under regulation 20 may be granted a licence if there is nothing adverse against him and if he passes the examination under Regulation 9.

18. Change in personnel actually engaged in Customs station on behalf of the firm of company.—Any change in the personnel actually engaged in the work in the customs station on behalf of that firm or company shall be communicated forthwith by the firm or the company, as the case may be, to the Assistant Collector of Customs and no new person shall be allowed to work in the Custom Station as a duly authorised employee on behalf of that firm or company unless he has passed the examination referred to in Regulation 9.

19. Maintenance and inspection of accounts.—

(1) A licensee required to maintain accounts under these regulations shall maintain such accounts :

(a) in an orderly and itemised manner and keep them current;

(b) reflect all financial transactions as Custom House Agent.

(2) He shall keep and maintain on file a copy of each of the documents, such as, bill of entry, shipping bill, transhipment application, etc. and copies of all his correspondence and other papers relating to his business as Custom House Agent.

(3) All records and accounts required to be maintained under these Regulations shall be preserved for at least five years and shall be made available at any time for inspection of officers authorised to inspect such records and accounts.

20. Employment of persons.—(1) A licensee may, having regard to the volume of business transacted by him, employ one or more persons to assist him in his work as Custom House Agent.

(2) Appointment of a person referred to in sub-regulation (1) shall be made only after obtaining the approval of the Assistant Collector of Customs designated by the Collector for this purpose and in the matter of granting approval, he shall take into consideration the antecedents and any other information pertaining to the character of such person.

(3) Appointment of a person referred to in sub-regulation (1) shall be subject to the condition that he shall, within six months from the date of his appointment, pass an examination conducted by the said Assistant Collector of Customs or by a committee of officers of Customs to be appointed by him for the purpose, and the examination shall be such as to ascertain the adequacy of knowledge of such person regarding the provision of the statutes subject to which goods and baggage are cleared through the Customs.

Provided that where any person fails to pass the examination within the period referred to in sub-regulation (3), the Assistant Collector of Customs may, by order in writing, permit such person, to appear again for the examination, but no such order shall be made in favour of a person who had been given the opportunity to appear for the examination four times.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (3), a person who has worked under a Custom House Agent and passed the examination

referred to in sub regulation (3), may on his appointment under any other Custom House Agent with the approval of the Assistant Collector of Customs, be exempted from passing the examination again.

(5) Where the Custom House Agent has authorised any person employed by him to sign documents relating to the business of such agent on his behalf, he shall file with the Assistant Collector of Customs, a written authority in his behalf and give prompt notice in writing, if such authorisation is modified or withdrawn.

(6) The Assistant Collector of Customs shall issue an identity card to every employee of a Custom House Agent, —

(i) in Form G, in case he has passed the examination referred to in sub-regulation (3),

(ii) in Form H, in case he has not passed such examination,

(iii) and every such person shall, at all times when he transacts the work at the Customs station, carry such card with him and produce it for inspection on demand by any officer of the Customs station.

(7) The Custom House Agent shall exercise such supervision as may be necessary to ensure the proper conduct of any such employees in the transaction of business as agent and be held responsible for all acts or omissions of his employees in regard to their employment.

21. Suspension or revocation of licence.—(1) regulation 23; suspend or revoke the licence of a Custom House Agent so far as the jurisdiction of the Collector is concerned and also order for forfeiture of security on any of the following grounds :—

(a) failure of the Customs House Agent to comply with any of the conditions of the bond executed by him under regulation 11;

(b) failure of the Custom House Agent to comply with any of the provisions of these regulations, whether within the jurisdiction of the said Collector or anywhere else;

(c) any misconduct on his part whether within the jurisdiction of the said Collector or anywhere else which in the opinion of the Collector renders him unfit to transact any business in the customs station.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) the Collector may, in appropriate cases, where immediate action is necessary, suspend the licence of a Customs House Agent where an enquiry against such agent is pending or contemplated.

22. Prohibition.—Notwithstanding anything contained in regulation 21, the Collector may prohibit any Custom House Agent from working in one or more sections of the customs station, if he is satisfied that such agent has not fulfilled his obligations as laid down under regulation 14 in relation to work in that section or sections.

23. Procedure for suspending or revoking licence under Regulation 21.—

(1) The Collector shall issue a notice in writing to the Custom House Agent stating the grounds on which it is proposed to suspend or revoke the licence and requiring the said agent to submit within such time as may be specified in the notice not being less than fortyfive days, to the Assistant Collector of Customs nominated by him, a written statement of defence and also to specify in the said statement whether the Customs House Agent desires to be heard in person by the said Assistant Collector of Customs.

(2) On receipt of the written statement from the Customs House Agent, or where no such statement has been received within the time limit specified in the notice referred to in sub-regulation (1), the Assistant Collector of Customs may inquire into such of the grounds as are not admitted.

(3) The Assistant Collector of Customs shall, in the course of inquiry, consider such documentary evidence and take such oral evidence as may be relevant or material to the inquiry in regard to the ground forming the basis of the proceedings and he may also put any question to any person tendering evidence, for or against the Customs House Agent, for the purpose of ascertaining the correct position.

(4) The Customs House Agent shall be entitled to cross-examine the persons examined in support of the grounds forming the basis of the proceedings and where the Assistant Collector of Customs declines to examine any person on the grounds that his evidence is not relevant or material, he shall record his reasons in writing for so doing.

(5) At the conclusion of the aforesaid inquiry the Assistant Collector of Customs shall prepare a report of the inquiry recording his findings.

(6) The Collector of Customs shall furnish to the Custom House Agent a copy of the report of the Assistant Collector of Customs and shall require the Customs House Agent to submit within the specified period not being less than sixty days any representation that he may wish to make against the findings of the Assistant Collector of Customs.

(7) The Collector shall, after considering the report of the inquiry, and the representation thereon, if any, made by the Custom House Agent pass such orders as he deems fit.

24. Grant of licence no right to accommodation.—The grant of a licence under these regulations does not confer any right to accommodation in a customs station.

25. Fixing of clearance charges.—(1) The Collector may from time to time and in consultation with the recognised Custom House Agents' Association, if any, registered at a Customs Station, notify the rates that may be charged by a Custom House Agent for his services rendered in relation to clearance of goods and conveyance through Customs. The Custom House Agent shall strictly conform to the rates so notified.

(2) Each Customs House Agent shall enrol himself as a member of Custom House Agents Association if there is one registered in the customs station and recognised by the Collector of Customs.

26. Repeal.—(1) The Customs House Agents Licensing Regulations, 1965 hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Custom House Agents Licensing Regulations, 1965, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.

[F. No. 502|8|83-Cus.VI]

R.S. SIDHU, Under Secy.

CENTRAL BOARD OF EXCISE & CUSTOMS

FORM 'A'

(See Regulation 5)

Application Form for grant of Custom House Agents Licence under Section 146 of the Custom Act, 1962.

Name of the applicant. (In case the applicant is a firm or a company, the name of each of the partners of the firm or the directors of the company as the case may be).

2. Full address of the applicant. (In case the applicant is a firm or a company the full address of each of the partners of the firm or the directors of the company as the case may be).

3. In case the applicant is a firm or a company, the name(s) of its partner|partners or director|directors or duly authorised employees who will actually be engaged in the work as Custom House Agents.

4. In case it is desired to appoint clerk (s) the name and address of the clerk(s).

5. Educational qualifications of each of the persons, who will actually be engaged in the work as Custom House Agent.

6. Particulars regarding knowledge of English and local language and Hindi. (These particulars are required in respect of each of the persons actually engaged in the work as Custom House Agent).

7. Particulars regarding knowledge of Customs Law and procedure. (These particulars are required in respect of each of the persons actually engaged in the work as Custom House Agent).

8. Whether the applicant had earlier applied for a licence to act as a Custom House Agent and whether such application was rejected.

9. Whether he or the firm or company by whom he is employed have earlier held a Custom House Agents Licence under these regulations and whether it was cancelled or suspended.

10. Whether the applicant or any of the persons proposed to be employed by him have been penalised, convicted or prosecuted under any of the provisions of the Customs Act, 1962 or any other law for the time being in force.

11. Number and date of each of the documents furnished in accordance with regulation 6.

I|We hereby affirm that I|We have read the Custom House Agents Licensing Regulations, 1984 and agree to abide by them.

Date. Signature of applicant(s)

FORM 'B'

(See Regulation 8)

Temporary Licence To Operate As A Customs House Agent

Shri|Sarvashri ———————— is|are hereby authorised to transact business as Customs House Agent at the ———— Custom House. The licence will be valid for one year from the date of its issue.

It is a condition of this licence that in the case of a firm or a company, the Custom House work

shall be transacted through one of the following persons :—

Name of persons	Specimen signature.
(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	

Customs Station. Signature of the

Date of issue. C llector of Customs.

Form 'C'

(See Regulation 10)

(REGULAR LICENCE)

Application From For Grant Of Custom House Agents Licence Under Section 146 of The Customs Act, 1962).

1. Name of the applicant. (In case the applicant is a firm or a company, the name of each of the partners of the firm or the directors of the company as the case may be).
2. Full address of the applicant. (In case the applicant is a firm or a company the full address of each of the partners of the firm or the directors of the company as the case may be).
3. In case the applicant is a firm or a company, the name (s) of its partner|partners or director|directors or duly authorised employees who will actually be engaged in the work of Custom House Agents.
4. In case it is desired to appoint clerk (s) the name and address of the clerk (s) as the case may be.
5. Education qualifications of each of the persons, who will actually be engaged in the work as Custom House Agent.
6. Particulars regarding knowledge of English and local language and Hindi. (These particulars are required in respect of each of the persons actually engaged in the work as Custom House Agent).
7. Particulars regarding knowledge of Customs law and procedure. (These particulars are required in respect of each of the persons actually in the work of Custom House Agent).
8. Particulars of the quantity or value of cargo cleared during the currency of the temporary licence in accordance with the Regulation 10.
9. Whether the applicant had earlier applied for a licence to act as a Custom House Agent whether such application was rejected.
10. whether he or the firm or company by| whom he is employed have earlier held a Cuctom House Agents Licence under these regulations and whether it was cancelled or suspended.
11. Whether the applicant or any of the persons proposed to be employed by him have been penalised convicted or prosecuted under any of the provisions of the Customs Act, 1962 or any ther law for the time begin inforce.
12. Nnmber and date of each of the documents furnished in accordance with regulation 6.

I|We hereby affirm that I|We have read the Custom House Agents Licensing Regulation, 1984 and agrce to abide by them.

Date.

Signature of applicant(s)

1.————————

2.————————

FORM 'D'

(See Regulation 10)

Regular Licence To Act As Customs House Agent

Shri|Sarvashri ————————is|are hereby authorised to transact business as Custom House Agent at any Customs Station. This licence will be valid for three years from the date of its issue.

It is a condition of this licence that in the case of a firm or a company, the custom house work shall bet ansacted through one of the following persons :—

Name of persons	Specimen signature
1.	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	

Customs Station Signature and seal of

Date of Issue. the Collector of Customs.

FORM 'E'

(See Regulation 11)

BOND

No. of 19 . know all men by these presents that we are held and firmly bound to the President of India in the sum of Rs. for payment whereof we hereby bind ourselvers, and each of us bind himself and each of our heirs executors and administrators firmly by these presents dated this day of in the year one thousand nine hundred and

Whereas the said has been authorised to act as a Custom House Agent under Section 146 of the Custom Act, 1962 (52 of 1962) and the said has agreed to enter into this bond as required by the Custom House Agent licensing Regulations, 1984 (hereafter referred to as the said Regulation).

And whereas the said has deposited the sum of Rs. with the President of President of India as security for his faithful behaviour and that of his clerks as regards the said Regulations.

Now the condition of the above written bond is such that if the said and his clerks do at all times whilst holding such licence as aforesaid behave themselves in a faithful manner as regords the said Regulations and if the said———and their executors or administrators do at all times make good to the President of India all and every sums of money which being due to the Government shall by reason of the misfeasance or negligence of the said———or of his clerks have not been paid to the President of India then the above written bond shall be volid; otherwise the same shall be and remain in full force and virtue and it is hereby agreed and declared that the President of India may apply the said sum of Rs. ——— deposited as aforesaid in making good to the President of India all and every sums due to the Government by reason of the misfeasance or negligence of the said——— ——— or his clerks os aforesaid.

And it is hereby agreed that the said som of Rs.——— shall remain with the President of India for twelve calendar months after the date upon which the said———shall cease to act as a Custom Hous Agent as security for the payment of any sums due to the Government by reason of any misfeasance or negligance of the said——— or of his clearks which may not be discovered until after the said date and that this bond shall be and remain in full force and virtue untill the expiation of the said term of twelve months. It is also agreed and declared that the President of India may apply the above sum of Rs.——— in making good wholly or in part any short collection of duty or other charges in respect of any transaction made by the said———on behalf of importers or exporters in the event of such sums remaining unpaid, even after issue of demands under section 28 of the Customs Act.

Signed, sealed and delivered by the above named in the presence of witnesses.

Accepted for and on behalt of the President of India.

1.——————

2. ——————

Signature and Designation of the Collectors of Customs.

FORM 'F'

See Regulation 11)

SURETY BONL

No. of 19 know all men by these presents that we (A) and (B) are held and firmly bound to the President of India in the sum of (Rupees for payment whercof we hereby bind ourselves and each of us bind himself our and eoch of our heirs, executers and administrators firmly by these presents dated this day of in the year one thousand nine hundred and

Whereas the said (A) has been authorised to act as a Cuctom House Agent under Section 146 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the said (B) has agreed to enter into this bond as required by rules made under the said section ;

Now the condition of the above written bond is such that if the said (A) doth at all times whilst holding such authorisation as aforesaid behave hemself in a faithful and incorrupt manner are regards the Custom House Regulations and the officers, and if the caid (A) and (B) , their executors or administrators some or one of them do, and shall at all time make good to the President of India all and every sums of money which being due to the Government shall by reason the misfeasance or negligence of the said (A) have not been paid to the President of India then the above written bond shall be volid; otherwise the same shall remain in full force and virtue ;

Signed, sealed and delivered by the above named in the presence of witnesses.

Executed before me this of 19

1. ——————Signature and Designation of

2. ——————the Collector of Customs.

FORM 'G'

(See Regulation 20)

IDENTIT' ARD

Shri———————— c ——————
having been registered in th ooks of this office as a clerk of Shri|Sarvashri ——of———— having been authorised by |them to transact business at the——— ——— ,tom House on his| their behalf, is hereby pern d to do so for a period of————years with effect from——— 19————, or until the cancellation of the licence issuer to his principal whichever is earlier. Specimen Signature of

Clerks———.

Age.————————

Customs Station: (Photo to be supplied

————————19 by the Agent).

FORM 'H'

(See Regulation 20)

PROVISIONAL IDENTITY CUM AUTHORITY CARD

Shri ———————— of ————————hav-ing been registered in the books of this office, provisionally as clerk|agent, of Shri|Sarvashri——— of ——————————having been authorised by him|them to transact business at the——————— Cuctoms Station on his|their behalf, is hereby permitted to oo so for a period from——————— to——————. The renewal of this identity card or issue of a permanent identity card is subject to his passing he examination specified under regulation 20 and the card shall terminate on the cancellation of the licence issued to his principal.

Specimen Signature of Clerks.

Agent. Custom Station

(Photo to be supplied by the agent).
19

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984